

**विषय:** संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) के संबंध में स्पष्टीकरण।

**संदर्भ:** रेलवे बोर्ड को पत्र सं० PC-V/2009/ACP/2 दिनांक 01.07.2014

वर्तमान में संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने हेतु नियमित सेवा की गणना में असाधारण अवकाश (ई०ओ०एल०) की अवधि को घटा दिया जाता है। इस क्रम में कृपया रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन किया जाए, जिसके माध्यम से यह निर्देशित किया गया है कि जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा विशेष रूप से बिना चिकित्सा आधार पर स्वीकृत असाधारण अवकाश (ई०ओ०एल०) को नियमित सेवा से अलग रखे जाने हेतु आदेशित न किया जाए, इस अवधि को संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत देय वित्तीय उन्नयन हेतु नियमित सेवा में जोड़ा जाना है।

सर्वसंबंधित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(दीपक राज राय)  
मकाधि (प्रभारी)/सोन०

**सभी मुख्य कार्याधी (संवर्ग)**

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. समस्त शाखाधिकारी/सोनपुर मंडल
2. समस्त कार्मिक अधिकारी

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार  
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय  
(Railway Board) रेलवे बोर्ड

No PC-V/2009/ACP/2


New Delhi, dated 07.07.2014

The General Manager (P)  
All Indian Railways & PUs

**Sub:-Modified Assured Career Progression Scheme-clarification reg.**

References have been received in Board's office seeking clarifications as to whether extraordinary leave (EOL) without medical certificate is to be taken into account for the purpose of MACP Scheme.

The issue has been examined in consultation with Department of Personnel & Training (DoP&T) and it is clarified that unless the competent authority has specifically decided to exclude the period from counting as regular service, EOL period without Medical grounds duly sanctioned by the competent will also be counted as regular service for the purpose of grant of financial upgradations under MACP Scheme.



(N.P. Singh)

Dy. Director, Pay Commission - V  
Railway Board

(This disposes of SER's letter No.SER/P-HQ/EP/359, dated 03.04.2014.)